

1. विनोद सिंह पुत्र कुशालसिंह जाति राजपूत साकिन आपूवाला तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।

वादी

बनाम

1. राजेन्द्र सिंह पुत्र कुशालसिंह जाति राजपूत साकिन आपूवाला तहसील नोहर।
2. अजीतसिंह पुत्र कुशालसिंह जाति राजपूत साकिन आपूवाला तहसील नोहर।
3. किशनकंवर पत्नी कुशालसिंह जाति राजपूत साकिन आपूवाला तहसील नोहर।
4. बेबी कंवर पुत्री कुशालसिंह जाति राजपूत साकिन आपूवाला तहसील नोहर।
5. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ़।

प्रतिवादीगण

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88

उपस्थित : श्री नरेन्द्र किशोर जोशी अधिवक्ता वादी

पेरोकार राज

निर्णय दिनांक :- 17/06/2022

सक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88 के तहत इस आशय का पेश किया गया की रोही मौजा आपूवाला के खाता संख्या 35/34 की कुल 33.8410 हेक्टर में से 4839/33841 हिस्सा भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में कुशालसिंह पुत्र सबलसिंह के नाम से दर्ज है।

वाद भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में कुशालसिंह पुत्र सबलसिंह के नाम से दर्ज है जो वादी का पिता है वादी के पिता कुशालसिंह पुत्र सबलसिंह का देहान्त हो चुका है जिसके जायज वारिसान वादीगण एव प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 है जो कुशालसिंह पुत्र सबलसिंह के नाम दर्ज भूमि को अपने हक हिस्सा के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है।

प्रतिवादी संख्या 3 वादी की माता एव प्रतिवादी संख्या 4 वादी की बहन एव मृतक कुशालसिंह पुत्र सबलसिंह की पत्नी/पुत्री है एवं प्रतिवादी संख्या 3 ता 4 ने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1, 2 के पक्ष में किया जा चुका है। इसलिये वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1, 2 के हक हिस्सा की भूमि है जिसे अपने बाहमी बटवारा के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है।

वादी ने प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 को कई मर्तबा कहा की वादी के हक हिस्सा की भूमि को उनके नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा देवे तो कुछ दिनों तक तो आज कल आज कल करते रहे किन्तु अन्त में इन्कार हो गये इसलिये यह वाद पेश किया गया है।

अतः वादी का वाद डिक्री किया जाकर घोषणा की जावे की कुशालसिंह पुत्र सबलसिंह जो वादी का पिता है के नाम से दर्ज भूमि को वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1, 2 के हक हिस्सा की भूमि है जिसे अपने बाहमी बटवारा के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

वादी का वाद प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 जरिये अधिवक्ता न्यायालय में उपस्थित आकर वादी के वाद को स्वीकार करते हुए ईकबाल दावा पेश किया जाकर प्रतिवादी संख्या 1 ने निवेदन किया की वाद भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में कुशालसिंह पुत्र सबलसिंह के नाम से दर्ज है जो वादी का पिता है वादी के पिता कुशालसिंह पुत्र सबलसिंह का देहान्त हो चुका है जिसके जायज वारिसान वादीगण एव प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 है जो कुशालसिंह पुत्र सबलसिंह के नाम दर्ज भूमि को अपने हक हिस्सा के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है तथा प्रतिवादी संख्या 3 ता 4 ने निवेदन किया की उन्होंने अपने हक हिस्सा की भूमि को अपने भाई/पुत्रों वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1, 2 के पक्ष में त्याग

खण्ड अधिकारी
नोहर

किया हुआ है इसलिये वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1,2 के हक हिस्सा की भूमि है जिसे वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1,2 के नाम बाहमी बटवारा के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नहीं है व अपने कथनों के समर्थन में ईकबाला दावा पेश किया गया। शामिल मिसल किया एवं प्रतिवादी संख्या 5 पेशकार राज ने जबाब पेश किया की वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतों के आधार पर राज्य हकों को सुरक्षित रखते हुए निस्तारण किया जाता है तो कोई ऐतराज नहीं है जबाब शामिल मिसल किया गया।

प्रकरण में प्रतिवादीगण का ईकबाल प्रस्तुत होने के कारण तनकी की आवश्यकता नहीं रही साक्ष्य में वादी ने अपना शपथ पत्र पेश किया जिस पर प्रतिवादीगण के द्वारा जिरह नहीं करने के कारण जिरह शुन्य रही तत्पश्चात उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

वकील वादी के अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपने वाद में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया की रोही मौजा आपूवाला के खाता संख्या 35/34 की कुल 33,8410 हेक्टर में से 4839/33841 हिस्सा भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में कुशलसिंह पुत्र सबलसिंह के नाम से दर्ज है।

वाद भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में कुशलसिंह पुत्र सबलसिंह के नाम से दर्ज है जो वादी का पिता है वादी के पिता कुशलसिंह पुत्र सबलसिंह का देहान्त हो चुका है जिसके जायज वारिसान वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 है जो कुशलसिंह पुत्र सबलसिंह के नाम दर्ज भूमि को अपने हक हिस्सा के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है।

प्रतिवादी संख्या 3 वादी की माता एवं प्रतिवादी संख्या 4 वादी की बहन एवं मृतक कुशलसिंह पुत्र सबलसिंह की पत्नी/पुत्री है एवं प्रतिवादी संख्या 3 ता 4 ने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1,2 के पक्ष में किया जा चुका है। इसलिये वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1,2 के हक हिस्सा की भूमि है जिसे अपने बाहमी बटवारा के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है।

वादी के वाद को प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 ने स्वीकार किया जाकर ईकबाल पेश किया जा चुका है अर्थात वादी के वाद के सम्बन्ध में कोई ऐतराज नहीं है वादी अपने कथनों के सम्बन्ध में न्यायायिक दृष्टान्त आर.बी.जे. 1998 पेज 615 एवं आर.आर.डी वर्ष 1998 पेज 646 प्रस्तुत कर निवेदन किया की कोई भी खातेदार काश्तकार आपसी सहमति /राजीनामा के आधार पर अपने हकों को स्थानान्तरण कर सकता है अतः वादी का वाद डिब्री फरमाया जावे।

पेशकार राज ने निवेदन किया की वादी ने दादालाई/पैतृक सम्पत्ति का वाद पेश किया है वादी के साक्ष्य सबुतों के आधार पर राज्यहकों को सुरक्षित रखते हुए वाद का निस्तारण फरमावे।

हमने उभयपक्षों की बहस सुनी पत्रावली का अवलोकन किया प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा आपूवाला के खाता संख्या 35/34 की कुल 33,8410 हेक्टर में से 4839/33841 हिस्सा भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में कुशलसिंह पुत्र सबलसिंह के नाम से दर्ज है।

वादी का कथन है कि वाद भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में कुशलसिंह पुत्र सबलसिंह के नाम से दर्ज है जो वादी का पिता है वादी के पिता कुशलसिंह पुत्र सबलसिंह का देहान्त हो चुका है जिसके जायज वारिसान वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 है जो कुशलसिंह पुत्र सबलसिंह के नाम दर्ज भूमि को अपने हक हिस्सा के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है वादी के कथनों को प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 ने स्वीकार किया जाकर ईकबाल पेश किया जा चुका है।

वादी का कथन है कि प्रतिवादी संख्या 3 ता 4 ने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग किया हुआ है वादी के कथनों को प्रतिवादी संख्या 3 ता 4 ने स्वीकार किया जाकर ईकबाल पेश किया जाकर निवेदन किया जा चुका है कि वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या

इ अधिकारी
नेहर

1, 2 के हक हिस्सा की भूमि है जिसे उनके बाहमी बटवारा के अनुसार उनके नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नहीं है

वादी के वाद को प्रतिवादीगण के द्वारा स्वीकार करने एवं वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुत एवं न्यायायिक दृष्टान्तों जो प्रकरण पर चस्पा होते हैं के आधार पर वाद वादी साबित होने के कारण काबिल डिक्री है तथा प्रतिवादी संख्या 3 ता 4 ने अपने हकों का त्याग किये जाने के कारण राज्यहकों की सुरक्षा के मध्यनजर स्टाम्प ड्यूटी कायम की जानी न्यायोचित है।

अतः वादी के वाद को प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 के द्वारा स्वीकार करने एवं परोकार राज का किसी प्रकार का ऐजराज नहीं होने एवं वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतों एवं न्यायायिक दृष्टान्तों के आधार पर वाद वादी साबित होने के कारण डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि रोही मौजा आपूवाला के खाता संख्या 35/34 की कुल 33.8410 हैक् में से 4839/33841 हिस्सा भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में कुशालसिंह पुत्र सबलसिंह के नाम से दर्ज है का नाम कलमजन किया जाकर वादी अकेला 0.791 हैक् प्रतिवादी संख्या 1 अकेला 0.6325 हैक् प्रतिवादी संख्या 2 अकेला 3.4155 हैक् भूमि का खातेदार काश्तकार धोषित किया जाता है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करने हेतु ईजराय प्रार्थना पत्र के सलगन 1000/- रु का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावे। यदि भूमि बैंक के रहन हो तो बाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे। इसी आशय की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 17/06/2022 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बसरे ईजलास में सुनाया गया।


उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

पर्चा डिक्री

(आर्डर 20, रूल 6-7 जाब्ला दिवानी)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी नोहर

अनवान :-

1. विनोद सिंह पुत्र कुशलसिंह जाति राजपूत साकिन आपूवाला तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।

वादी

बनाम

1. राजेन्द्र सिंह पुत्र कुशलसिंह जाति राजपूत साकिन आपूवाला तहसील नोहर।
2. अजीतसिंह पुत्र कुशलसिंह जाति राजपूत साकिन आपूवाला तहसील नोहर।
3. किशनकवर पत्नी कुशलसिंह जाति राजपूत साकिन आपूवाला तहसील नोहर।
4. बेबी कवर पुत्री कुशलसिंह जाति राजपूत साकिन आपूवाला तहसील नोहर।
5. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजरव नोहर जिला हनुमानगढ़।


प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

राजस्व वाद संख्या 429 सन 2022 निर्णय दिनांक- 17/06/2022

आज यह वाद मुझ श्वेता कोचर उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) नोहर के समक्ष अधिवक्ता वादी एवं पेशेकार राज की उपस्थिति में अंतिम निपटारे/ निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य राबुतो एवं प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि रोही मौजा आपूवाला के खाता संख्या 35/34 की कुल 33.8410 हैव में से 4839/33841 हिस्सा भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में कुशलसिंह पुत्र सबलसिंह के नाम से दर्ज है का नाम कलमजान किया जाकर वादी अकेला 0.791 हैव प्रतिवादी संख्या 1 अकेला 0.6325 हैव प्रतिवादी संख्या 2 अकेला 3.4155 हैव भूमि का खातेदार काश्तकार धोषित किया जाता है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करने हेतु ईजराय प्रार्थना पत्र के सलग्न 1000/- रु का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावे। यदि भूमि बैंक के रहन हो तो वाद रहनमुक्त राजरव रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेंगे।

पर्चा डिक्री आज दिनांक 17/06/2022 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मुद्रा से जारी की गई।


उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ़)
उपखण्ड अधिकारी
नोहर